न्यायालय माननीय अध्यक्ष/सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल

ग्वालियर सर्किट केम्प भोपाल.

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1296 निगरानी प्रकरण कमॉक— /2018

अभिभातक श्री अनाज गुप्ता
द्वारा आज दिनांक 6.2.18
को पेश।
अधीक्षक

1— श्रीमति हल्की बाई पत्नि हमीर सिंह
2— श्रीमति सुनीता बाई पत्नि दलसिंह
3— श्रीमति माया बाई पत्नि कालूराम
सभी निवासी—ग्राम मौरा तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0। .....आवेदकगण

विरूद्ध

मृतक हल्कु पुत्र घासीराम कुमार
द्वाराः— उत्ताधिकारीगण
1— हरनाम सिंह
2— रूप सिंह
3— मौवत सिंह सभी पुत्रगण हल्कु
सभी निवासी—ग्राम पठेरा बुरहान तहसील
सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0
4— म0प्र0 शासन
द्वाराः—कलेक्टर विदिशा ..... अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा—50 के अन्तर्गत निगरानी .

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से विद्वान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल उनके प्रकरण कमॉक—55/ए/2015—16 में पारित आदेश दिनॉक—20—11—2017 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह अपील सूचना प्राप्ति दिनॉक—27—11—2017 तथा आदेश की प्रतिलिपि प्राप्ति दिनॉक—25—01—2018 से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि आवेदकगण द्वारा ग्राम हरगनाखेडी तहसील सिंरोज स्थित भूमि सर्वे कमॉक—68/3 रकबा 2.024 है भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण एवं अनावेदकगण 1 से लगायत 3 के मध्य नामांतरण का प्रकरण विचाराधीन था।

यह कि इसी बीच श्री प्रहलाद सिंह निवासी—ग्राम हरगना खेडी के द्वारा एक शिकायत स्व.श्री हल्कुराम के विरूद्ध माननीय

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/विदिशा/भू0रा0/2018/1296

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/03/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आकवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण शासन द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के विक्रय के संबंध में है । इस प्रकरण में आवेदकों द्वारा शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किए जाने के कारण कलेक्टर द्वारा भूमि को शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । शासन से प्राप्त भूमि का विक्रय संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकता है । चूंकि इस प्रकरण में भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामत: यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	